न्यायालय अपर जिला कलक्टर (प्रथम), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मदनलाल नेहरा आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी सं. : 14 / 2021 (2021 / 21)

प्रार्थी:—

नारायणराम पुत्र ऊर्जाराम, जाति देवासी, निवासी ग्राम खटावास, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी:—

1. खीमाराम पुत्र ऊर्जाराम, जाति देवासी, निवासी ग्राम खटावास, तहसील लूणी जिला जोधपुर।
2. ग्राम पंचायत खुडाला तहसील लूणी जिला जोधपुर।

पंचायत निगरानी अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 विरूद्ध पटटा विलेख संख्या 48 मिसल संख्या 657 / 2017—2018 दिनांक 05.09.2018 को ग्राम पंचायत खुडाला द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :—

1. अधिवक्ता श्री हनुमान प्रजापति व श्री गजेन्द्रसिंह राठौड़ (प्रार्थी)।
2. अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बूब (अप्रार्थी संख्या दो)।

—आदेश— दिनांक : 19.07.2021

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षण प्रार्थना—पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी सगे भाई है। प्रार्थी का एक कब्जा सुदा पैतृक सम्पति का भूखण्ड ग्राम खाटावास तहसील लूणी मे आया हुआ है जिस पर प्रार्थी का 40 वर्षो से अधिक समय से कब्जा है जिसका उपयोग प्रार्थी द्वारा किया जाता रहा है परन्तु अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के साथ सांठ गांठ करते हुए नियमो की पालना किए बगैर विधि विरूद्ध तरीके से अपने नाम से निगरानीधीन पट्टा जारी करवा दिया एंव कर्मचारियो के साथ मिल कर उसी खाली भूखण्ड पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण की स्वीकृति करवा कर निर्माण शुरू कर दिया जबकि अप्रार्थी के पास स्वंय का मकान है तथा उपरोक्त खाली भूखण्ड प्रार्थी का है तथा नियम 157 के तहत खाली भूखण्ड जो प्रार्थी का कब्जा सुदा है इसका पट्टा किसी भी रूप मे अप्रार्थी के नाम से जारी ही नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी ने अप्रार्थी को समझाया तो वो नहीं माना तथा प्रार्थी के साथ लडाई झगडा करने लग गया जिसकी शिकायत प्रार्थी द्वारा पुलिस थाना झंवर मे दर्ज करवाई परन्तु अप्रार्थी निरन्तर तौर पर कथित पट्टे को आधार बना कर भूखण्ड पर निर्माण करने को [illegible] है [illegible] [illegible] पूर्णतः गलत एंव

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:17:26 IST
Reason: SelfAttested

नियम विरूद्ध जारी किये गये पटटे से व्यथित होकर यह निगरानी प्रार्थना पत्र पेश की गयी ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। अधिवक्ता श्री ओ. पी. बूब ने अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से वकालतनामा पेश किया। ग्राम पंचायत खुडाला से निगरानीधीन पट्टा बाबत रिकॉर्ड तलब किया गया। ग्राम पंचायत से मूल अभिलेख प्राप्त होने पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अप्रार्थी द्वारा एक प्रार्थनापत्र धारा 151 सी पी सी का प्रस्तुत किया जाकर निवेदन किया कि प्रार्थी के पास अपनी पत्नि के नाम से ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा विलेख की भूमि है तथा 1/4 बीघा भूमि आबादी की है जिसकी रिपोर्ट एंव कब्जा स्थिति को ग्राम पंचायत के मार्फत तलब की जावे ताकि प्रकरण की वस्तुस्थिति न्यायालय के समक्ष आ सकेगी।

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र धारा 151 सी पी सी में अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी के कब्जासुदा अन्य भूमि एंव भू भाग की रिपोर्ट ग्राम पंचायत के मार्फत मंगवाने का निवेदन किया जिसका प्रार्थी अभिभाषक द्वारा विरोध करते हुए कथन किया कि जिस भूमि बाबत रिपोर्ट मंगवाने का प्रार्थना–पत्र पेश किया है वो इस प्रकरण की विषय वस्तु नहीं है साथ ही ग्राम पंचायत स्वयं पक्षकार है मात्र प्रकरण में विलम्ब करने के उद्देश्य से प्रार्थनापत्र पेश किया है जो खारिज किया जावे। चूंकी उक्त निगरानी अप्रार्थी के नाम से जारी पट्टा विलेख बाबत है जिसमे निगरानी मे वर्णित प्रक्रिया एंव नियमों बाबत पुनरीक्षण करना है ऐसी स्थिति मे अन्य भूमि बाबत रिपोर्ट मंगवाना किसी भी रूप मे आवश्यक नहीं है तथा ऐसी रिपोर्ट मंगवा देने से भी उक्त निगरानी मे उसका कोई आधार नहीं है इन परिस्थितियो में अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 151 सी पी सी खारिज किया जाता है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में बतलाया कि निगरानीधीन पट्टा कानूनी प्रावधानो एंव नियमों के विपरीत जाकर ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया है। धारा 157 के तहत खाली भूखण्ड के लिए पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है तथा प्रार्थी के कब्जा सुदा भूखण्ड का पट्टा अवैध तरीके से अप्रार्थी के नाम से ग्राम पंचायत की सांठगांठ से जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा बहस करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी के नाम से ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण प्रक्रिया अपना कर विधिवत रूप से पट्टा जारी किया गया है। प्रार्थी ने बेवजह अप्रार्थी को परेशान करने की नियत से निगरानी पेश की है जबकि प्रार्थी की पत्नी के नाम से ग्राम पंचायत द्वारा अन्य भूमि का पट्टा जारी किया हुआ है तथा अप्रार्थी की पट्टासुदा भूमि पर अब प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा निर्माण के लिए राशि भी स्वीकृत हो रखी है। निगरानी के सारे आधार तथ्यात्मक पहलू के है, तथ्यात्मक आधार के लिए सिविल न्यायालय में चाराजोही करें। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी0 बी0 सिविल स्पेश अपील (रीट) संख्या 108/2006 के निर्णय दिनांक 12.02.2008 के अनुसार किसी भी प्रकरण की गुणावगुण से पहले उसकी प्रकृति को देखना आवश्यक है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थी की निगरानी खारिज किए जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली व अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत से प्राप्त मूल रिकोर्ड का अवलोकन किया एंव बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा निगरानी में अप्रार्थी के पक्ष मे जारी पट्टा संख्या 48 मिसल संख्या 657/2017–18 दिनांक 05.09.2018 को नियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:17:26 IST
Reason: SelfAttested

विरूद्ध एंव कानूनी प्रावधानो के विपरीत जाकर जारी करना बताया जबकि अप्रार्थी द्वारा पट्टा सही रूप से जारी होने का कथन किया गया है। मूल रूप से निगरानी में किसी पंचायत राज संस्था के किसी विनिश्चय का आदेश के सही होने, उसकी वैधानिकता या औचित्य के बारे में एवं अनियमितता बाबत पुनरीक्षण करने के प्रावधान है। चुंकि ग्राम पंचायत द्वारा मूल रिकॉर्ड जिसमे मिसल, पट्टा बही प्रस्तुत की है जिसमे पट्टा जारी करने बाबत प्रक्रिया का अंकन है जिसका अवलोकन किया गया। उक्त पट्टा जारी करने का आवेदन दिनांक 05.09.2017 को प्रस्तुत होना एंव विभिन्न कार्यवाहियो के तहत दिनांक 05.09.2018 को पट्टा जारी करने का अंकन है परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव 01 दिनांक 05.09.2018 को अनुमोदित पट्टो को जारी करने बाबत था अर्थात दिनांक 05.09.2017 को जिन पट्टों का अनुमोदन कर दिया था उन्ही पट्टो को ग्राम पंचायत जारी कर सकती थी परन्तु निगरानीधीन पट्टा का जब आवेदन ही दिनांक 05.09.2017 को प्रस्तुत हुआ था अर्थात उक्त पट्टा बाबत कार्यवाही ही दिनांक 05.09.2017 को प्रारंभ हुई थी तो उक्त दिवस दिनांक 05.09.2017 के दिन उसका अनुमोदन संभव नहीं था ऐसी स्थिति मे उक्त पट्टा जारी होने मे विधिक त्रुटि रही है। साथ ही प्रार्थी का कथन रहा था कि खाली भूखण्ड का पट्टा नियम 157 के तहत जारी नहीं किया जा सकता है, ऐसी स्थिति मे निगरानीधीन पट्टा जारी करने मे कानूनी प्रावधानो की पालना नहीं की गई है। नियम 157 के तहत नियमितिकरण के प्रावधान है जबकि उपरोक्त पट्टे मे वर्णित भूमि खाली भूखण्ड के रूप में है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

—आदेश—

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर अप्रार्थी संख्या 01 खीमाराम पुत्र ऊर्जाराम निवासी ग्राम खाटावास, तहसील लूणी जिला जोधपुर के हक में ग्राम पंचायत खुडाला द्वारा जारी पट्टा विलेख संख्या 48 मिसल संख्या 657/2017—18 दिनांक 05.09.2018 को एतद् निरस्त किया जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत खुडाला को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पट्टे में वर्णित आराजी का राजस्थानी पंचायती राज नियम, 1996 के नियमों की पालना करते हुए नियमानुसार निस्तारण करें।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 19.07.2021 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

मदनलाल नेहरा
अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Madan Lal Nehra
Date: 2022.11.22 17:17:26 IST
Reason: SelfAttested